



ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा – 846 004

Adv. No. 02/2023/CET-B.Ed.-2023

बिहार राज्य स्तरीय बी०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा – 2023 (CET-B.Ed.-2023)

बी०एड० एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में नामांकन संबंधी अति आवश्यक सूचना

(Public Notice)

दो वर्षीय बी०एड० एवं शिक्षा शास्त्री में सत्र 2023-25 में नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थियों से संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 (CET-B.Ed-2023) में सम्मिलित होने के लिए एतद् द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र www.biharcetbed-lnmu.in पर भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि 20.02.2023 से 15.03.2023 तक निर्धारित है। इससे संबंधित अर्हता, निर्देश, ऑनलाइन प्रक्रिया एवं विवरणिका उपर्युक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

सूचनीय है कि बिहार राज्यपाल सचिवालय, पटना द्वारा पारित Statute for Conducting Combined Entrance Test for B.Ed. Colleges affiliated to State Universities of Bihar के अनुसार Bihar State Universities Act, 1976 (amended upto date), Patna University Act 1976, Nalanda Open University Act, 1995 एवं Aryabhata Knowledge University Act, 2008 के अंतर्गत अंगीभूत/संबंधता प्राप्त तथा NCTE से मान्यता प्राप्त सभी बी०एड० एवं शिक्षा शास्त्री कॉलेजों में नामांकन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के काउंसलिंग के आधार पर ही किया जाना है।

महामहिम राज्यपाल के कार्यालय की अधिसूचना Memo No. BU(Regulation)-16/2015-159/GS(I) दिनांक 25.01.2023 एवं Memo No.- SU-18/2019-158/GS(I), दिनांक 25.01.2023 द्वारा दो वर्षीय बी०एड० एवं शिक्षा शास्त्री के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 (CET-B.Ed.-2023) का आयोजन एवं इसमें सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग का दायित्व ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सौंपा गया है।

उपर्युक्त अधिसूचना एवं परिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सन्दर्भ में सभी संबंधित संस्थानों तथा बी०एड० एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में नामांकन लेने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों, अभिभावकों एवं जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने, तदुपरांत काउंसलिंग आयोजित कर नामांकन कराने का शासनादेश (Mandate) मात्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को प्राप्त है। अनधिकृत रूप में इससे भिन्न उपर्युक्त अधिनियमों के अधीन संचालित होनेवाले कोई संस्थान बी०एड० एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2023-25 में अपने स्तर से नामांकन या काउंसलिंग आयोजित करता है तो इसे वैध नहीं माना जायेगा एवं उनके विरुद्ध उपयुक्त विधिसम्मत कारवाई की जाएगी।

-कुलपति महोदय के आदेश से

प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता
राज्य नोडल पदाधिकारी
CET-B.Ed.-2023